

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14()2014/बारां रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं/ 3536 दिनांक 27.11.2020

शासन सचिव,

वन विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 2.68 ha. of forest land for construction of BT Road from Bichi to Rampur Uprati RRSMT Scheme Rajasthan (Proposal No. FPRJ/ROAD/6958/2014)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 8वीं/राज/06/25/2015/एफसी/03 दिनांक 01.04.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तिर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि संदर्भित पत्र से जारी गई सूचना/टिप्पणी मुख्य वन संरक्षक, कोटा से पत्रांक 4782 दिनांक 18.06.2018, 8057 दिनांक 18.11.2018, 3666 दिनांक 11.06.2019, 3230 दिनांक 07.07.2020 एवं 5548 दिनांक 18.11.2020 से प्राप्तानुसार इस कार्यालय की नहमति के साथ विदूवार निम्नानुसार प्रेषित हैं:-

क्र.सं.	आवश्यक सूचना/टिप्पणी	पालना
1	Land suitability certificate and digital map of proposed CA site has not been provided.	विन्दु संख्या 1 की पालना पूर्ण कर दी गई है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र पार्ट-II में अपलोड कर दिया गया है। उक्त भूमि जिला कलेक्टर बारां द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत तहसील अंता जिला बारां में एकमुश्त आवंटित 103.40 हे० भूमि में ग्राम बिलेन्डी के खसरा नम्बर 38 में सम्मिलित है जिसका नामांतरण वन विभाग के नाम हो चुका है प्रति संलग्न है।
2	CA scheme file is neither available online nor it has been submitted with hard copy.	विन्दु संख्या 2 की पालना पूर्ण कर दी गई है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु योजना पार्ट-II में अपलोड कर दी गई है। योजना की निर्धारित प्रपत्र में हार्ड प्रति संलग्न कर दी गई है। प्रति संलग्न है।
3	Details of amount of NPV to be deposited have not been provided.	विन्दु संख्या 3 की पालना में एन.पी.वी. गणना पार्ट II में ऑनलाईन अपलोड कर दी गई है। प्रति संलग्न है।
4	Certificate under Forest Rights Act, 2006, has not been submitted in the prescribed format along with prescribed annexures.	निर्धारित प्रारूप में एफ.आर.ए. प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है।
5	In layout plan latitude and longitude of different points are given but it serves no purpose because it can not be made out to which points these referances relate to. Proper digital map mentioning latitude and longitude may be submitted.	यूजर एजेंसी द्वारा विन्दु संख्या 5 की पालना पूर्ण कर दी गई है। प्रस्ताव में सही के.ए.एल. फाइल निलंबित कर दी गई है तथा सही DGPS MAP मय वनभूमि के समस्त बिन्दुओं के पी.एस. कोर्डिनेट सहित संलग्न कर दिये गये हैं।

उपरोक्तनुसार सूचना दो सैट में भिजवाई जा रही हैं। कृपया एक मूल सैट भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर कैम्प कार्यालय, कन्द्रीय भवन, परम तल सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ को भिजवाने का कष्ट करावें।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ० गोविंद रामर नारद्वज)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,

राजस्थान, जयपुर।

दिनांक

क्रमांक: एफ. 14()2014/बारां रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं/

प्रतिनिधि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. उप वन संरक्षक, बारां।

(पी. सी. कुमार)

उप वन संरक्षक (एफ सी ए)

अरण्य भवन, जयपुर